

क्रम संख्या-26 (ख)

पंजीकरण संख्या-य०१०४०/की०ओ०/वी०दी०ए०/३०/२०१५-१७



सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग—१, खण्ड (क)

(उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, शुक्रवार, ०७ अप्रैल, २०१७ ई०

चैत्र १७, १९३९ शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 109 / XXXVI (3) / 2017 / 80(1) / 2016

देहरादून, ०७ अप्रैल, २०१७

अधिसूचना

विविध

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 200 के अधीन महामहिम राज्यपाल ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित “श्री गुरु राम राय विश्वविद्यालय विधेयक, 2016” पर दिनांक ०५ अप्रैल, २०१७ को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड का अधिनियम संख्या ०३ वर्ष, २०१७ के रूप में सर्व-साधारण को सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

